न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व अपील सं. 01/2020

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 75 RLR Act

अनवान अपीलाण्ट –
1. दलाराम पुत्र दमाराम
जाति जाट
निवासी आलमसर, तहसील चौहटन

बनाम

उतरदातागण –
1.सरपंच ग्राम पंचायत दीनगढ़
2.किशनाराम 3.मोटाराम 4.जोगाराम
5.नेहरूलाल पि.नारणाराम
6.प्रकाश पुत्र वनाराम, जाति जाट
निवासी आलमसर, तहसील चौहटन

अधिवक्तागण – अपीलाण्ट वकील – **श्री जगदीश पोटलिया**
उतरदातागण वकील – **श्री हुकमसिंह गोदारा (3 से 6)**

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 19.10.2022

अपीलाण्ट द्वारा पेश अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि सरपंच ग्राम पंचायत आलमसर के नामान्तरकरण सं. 99 दिनांक 20.09.2019 को पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट की यह अपील पेश है।

कि वादग्रस्त आराजी मौजा टांका स्टेशन के खसरा सं. 848/433 रकबा 82.08 बीघा भूमि अपीलाण्ट के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है। अपीलाण्ट ने उत्तरदातागण को सम्पूर्ण भूमि में से 1/5 हिस्सा की जमीन [illegible]ीयन दस्तावेज दिनांक 10.05.2019 को विक्रय कर विक्रय की गई जग[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:44:00 IST
Reason: SelfAttested

लेकिन उतरदातागण ने पटवारी हल्का से मिली भगत कर बैचान [illegible]रकरण खोलते समय कानून व क्षेत्राधिकार से परे जाकर नामान्तरकरण के पुश्त भाग पर नजरिया नक्शा मय

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

तरमीम तैयार कर स्वीकृति हेतु उतरदाता सं. 1 के पास भेज दिया, जिन्होने बेचानकर्ता अर्थात अपीलाण्ट को सुने बिना व बिना जानकारी में लाये अपने अपीलाधीन आदेश 20.09.2019 को स्वीकृत कर दिया जिसका ज्ञान अपीलाण्ट को इस अपील का कारण पैदा होने से पूर्व कभी नहीं हुआ।

इस प्रकार उतरदाता सं. 1 ने अपीलाधीन आदेश पारित कर अपनी शक्तियों का दुरूपयोग किया तथा आदेश पारित करने से पूर्व विक्रेता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर न देकर न्याय के प्राकृति सिद्धान्त का उल्लंघन कर स्वेच्छाचारिता व निरंकुशता का प्रदर्शन किया है। जिसमें माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश के नामान्तरकरण के पुश्त भाग पर नजरिया नक्शा मय तरमीम गई है जो निरस्त योग्य है।

अतः अपीलय मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद सुमार स्वीकृत करते हुए ग्राम पंचायत दीनगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 99 दिनांक 20.09.2019 के अपीलाधीन आदेश के नामान्तरकरण के पुश्त भाग पर नजरिया नक्शा मय तरमीम को निरस्त कर वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 848/433 रकबा 82.08 बीघा भूमि मौजा टांका स्टेशन की भूमि में अपीलाण्ट एवं उतरदातागण को बतौर सहखातेदार घोषित किया जावे एवं अपीलाधीन आदेश के नामान्तरकरण के पुश्त भाग पर नजरिया नक्शा मय तरमीम को निरस्त किया जाकर नये सिरे से पुनः नामान्तरकरण पारित करने का आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उतरदातागण को जरिये रजि.एडी नोटिस तलब किया गया। उतरदाता सं. 3 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह गोदारा ने वकालतनामा पेश किया । शेष उतरदातागण की ओर से कोई उपस्थित नहीं, उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उतरदाता सं. 3 से 6 के अधिवक्ता को जवाब के पर्याप्त अवसर दिये बावजूद जवाब पेश नहीं किया, अतः जवाब का अवसर बन्द किया गया।

पत्रावली पेश हुई । उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि मौजा टां[illegible] के खसरा सं. 848/433 रकबा 82.08 बीघा भूमि अपीलाण्ट के कब्जे [illegible] अपीलाण्ट ने उत्तरदातागण को सम्पूर्ण भूमि में से 1/5 हिस्सा की जमीन [illegible] पंजीयन दस्तावेज दिनांक 10.05.2019 को विक्रय कर विक्रय की गई जगह पर कब्जा सुपुर्द किया था। लेकिन उतरदाता सं. 01 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:44:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपरोक्त बेचान का नामान्तरकरण खोलते समय अपीलाण्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया, जिससे नामान्तरकरण के पुश्त भाग पर नजरिया नक्शा मय तरमीम की जानकारी अपीलाण्ट को नहीं हो सकी । इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के संबंध में उतरदाता सं. 01 द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 99 दिनांक 20.09.2019 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से काबिले खारीज है।

अतः अपीलाण्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act स्वीकार की जाकर उतरदाता सं. 01 द्वारा मौजा टांका स्टेशन के खसरा सं. 848/433 रकबा 82.08 बीघा के संबंध में पारित नामान्तरकरण सं. 99 निरस्त किया जाकर पुन : नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भागीरथराम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:44:00 IST
Reason: SelfAttested